आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 265/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

विलक्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, अग्रवाल कार्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, 5th, फ्लोर, गोविन्द लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री डूंगर सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह,
   पता:– प्लॉट नं. 34–ए, दादा गुरूदेव नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर, जयपुर।
   एवं मैसर्स नूतन फैशन, प्लॉट नं. 9, गोपाल विहार, कुमावतों की ढाणी, सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती रेणु कंवर पत्नी श्री डूंगर सिंह,
   पता :– प्लॉट नं. 34–ए, दादा गुरूदेव नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 33, श्याम विहार, रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, हाज्यावाला, जयपुर।
3. श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मान सिंह,
   पता :– प्लॉट नं. 12, श्याम विहार कॉलोनी, हाज्यावाला, रेल्वे स्टेशन के सामने, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **18.09.2020** को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती रेणु कंवर** के स्वामित्व की सम्पति **प्लॉट नं. 33, श्याम विहार, रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, हाज्यावाला,जयपुर, क्षेत्रफल 127.69 वर्गगज** को बन्धक रख कर कुल राशि **25,40,491/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **05.11.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को **25,40,491/**–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **23,01,859.01/**–रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **05.11.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अत : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती रेणु कंवर** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट नं. 33, श्याम विहार, रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, हाथ्यावाला,जयपुर, क्षेत्रफल 127.69 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर